

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 895 / एफ-7-151/31/एस-2/2021,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 27/02/2025

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-सक्ती अंतर्गत हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत सक्ती शाखा नहर के कि.मी. 0 से 11 के मध्य सकरेली वितरक नहर के आर.डी. 0 से 4000 मी. तक नहरों के सी.सी. लाईनिंग एवं फिलिंग क्षेत्र में टो-वाल का निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-1711/बोधी/RAA/2024/7397, दिनांक 29.08.2024.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-सक्ती अंतर्गत हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत सक्ती शाखा नहर के कि.मी. 0 से 11 के मध्य सकरेली वितरक नहर के आर.डी. 0 से 4000 मी. तक नहरों के सी.सी. लाईनिंग एवं फिलिंग क्षेत्र में टो-वाल का निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 319.34 लाख (रूपये तीन करोड़ उन्नीस लाख चौतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 615 हेक्टेयर में 106 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 24 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 639 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, लेखशीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [01]-हसदेव बांगो परियोजना {800}-अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (2898) बांध तथा संलग्न कार्य #26-वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-2242/बजट-2/वित्त/चार/2025, दिनांक 03.02.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गोरेलाल भूआर्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

